यू0पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 फोनः-0522 -2287794 फैक्स-0522-2287794

Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow - 226 001

संख्याः 741/पाकालि/कार्य-14/19-के/2004 दिनाँकः 15 जून 2009

विषयः भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदन वर्षों में सम्मिलित लम्बित प्रस्तरों के उत्तर प्रेषण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्याँचल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/

दिनाँक 16.05.2009 को शक्तिभवन मुख्यालय परिषद कक्ष में विशेष सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिनाँक 15.04.2008 एवँ 03.03.2009 को सम्पन्न हुई पूर्व पी0यू0सी0 बैठक में कार्यवृत्त में इंगित रेखांकित अंशों के कियान्वयन आख्याओं पर चर्चा के साथ-साथ विभिन्न प्रतिवेदन वर्षों में सम्मिलित प्रस्तरों में से 342 लम्बित प्रस्तरों के उत्तर विगत कई वर्षों से लम्बित रहने के कारणों पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त को पत्राँक 1692/24-पी-1-2009 लखनऊ दिनाँक 21.05.2009 (प्रतिलिपि संलग्न) से निर्गत करते हुए विभिन्न विद्युत वितरण निगमों यथा- पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा के मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को लम्बित प्रस्तरों तथा सार्वजनिक उपकम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों पर अनुपालन/कियान्वयन आख्या तैयार कराकर सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक की ओर से प्रेषित कराये जाने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये जिनका यह दायित्व निर्धारित कर दिया जाये कि वे अपनी अधीनस्थ इकाईयों के क्रियाकलापों पर आधारित लम्बित प्रस्तरों के सुस्पष्ट उत्तर तैयार करायेंगे एवँ जहाँ कहीं प्रस्तरों में की गयी आपत्ति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करके कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित हो वहाँ उत्तरदायित्व निर्धारण कराने, नामावली प्रेषित करने तथा प्रबन्ध निदेशक की स्पष्ट संस्तुति प्रेषित करने की कार्यवाही के साथ-साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी में उसका उल्लेख कर प्रेषित करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए पूर्व निर्गत निगमादेशों/परिषदादेशों में निहित व्यवस्थाओं को यथावत् रखते हुए एतदद्वारा निम्नवत् आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. निगम मुख्यालय पर तैनात मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)/अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), (जहाँ मुख्य अभियन्ता-वाणिज्य की तैनाती नहीं है) को लम्बित प्रस्तरों तथा माननीय समिति की संस्तुतियों के उत्तर प्रेषित करने हेतु नोडल अधिकारी नामित कर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवँ विशेष सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन को सूचित करें।
2. नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अधीनस्थ इकाईयों के क्रियाकलापों पर आधारित लम्बित प्रस्तरों का उत्तर तैयार कराकर प्रबन्ध निदेशक की ओर से प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी को, जिस किसी इकाई द्वारा प्रारम्भिक मूल सूचना अथवा अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित उत्तर माँगे जाने पर उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उन्हें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने की संस्तुति करने का अधिकार होगा परन्तु प्रत्येक दशा में उत्तर तैयार कराना/करना नोडल अधिकारी का दायित्व होगा।

3. लम्बित प्रस्तरों के उत्तर प्रेषण की स्थिति का अनुश्रवण प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर आगामी तीन माहों तक तथा तत्पश्चात् प्रत्येक माह एक बार निदेशक (वित्त) द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। अनुश्रवण किये जाने के समय यदि निदेशक (वित्त) द्वारा यह पाया गया कि नोडल अधिकारी द्वारा इस दिशा में समुचित प्रयास नहीं किये गये तो उनकी संस्तुति पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करायें तथा कार्यवृत्त में इंगित विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि–संलग्न

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

संख्या एवं दिनॉक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवृत्त की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषितः–

1. विशेष सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ
2. निदेशक (वित्त)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(पारेषण)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण/पी0एम0यू0/आर0ए0यू0/रेस्पो/सा0प्र0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,..
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, ...
5. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ

(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक